रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0एम0 13-14/98

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 24 जुलाई, 1998/2 श्रावण, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 24 जुलाई, 1998

संख्या 1-66/98-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1997 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम

(संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्यांक 7) जो 24 जुलाई, 1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

1998 का विधेयक संख्यांक 7.

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1998

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 (1979 का 20) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: —

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1998 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 की धारा 5 की उप-धारा (1) में "बीस करोड़" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "तीस करोड़" शब्द रखे जाएंगे। धारा 5 का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 के अधीन हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। उपर्युक्त निगम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 में यह उपबन्धित है कि निगम की प्राधिकृत पूंजी बीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान से सम्बन्धित निगम के कार्यकलापों में अब कई गुणा वृद्धि हो गई है। इसके अतिरिक्त, धन मूल्य ह्रास के कारण, यह आवश्यक हो गया है कि उपर्युक्त निगम की प्राधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा को बीस करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीस करोड़ रुपए कर दिया जाए। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

मनसा राम,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ...., 1998

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की प्राधिकृत पूंजी को बीस करोड़ रुपए से तीस करोड़ रुपए तक बढ़ाने का है। निगम की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि से राजकोष में से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1998

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 (1979 का 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

मनसा राम,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख..........1998

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1998

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979 (*Act No.* 20 *of* 1979).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation (Amendment) Act, 1998.

Amendment of section 5.

2. In section 5 of the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979, in sub-section (1), for the words "twenty crores", wherever these occurs, the words "thirty crores" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation was set up in the year 1979 under the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979. The objective of the aforesaid, Corporation is to speed up the economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Section 5 of the Act *ibid* provides that the authorised capital of the Corporation shall not exceed Rs. 20.00 crores. Now the activities of the Corporation concerning upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have increased manifold. Apart from this, due to the depreciation of money value, it has become necessary to enhance the maximum limit of the authorised capital of the aforesaid Corporation from rupees twenty crores to rupees thirty crores. This has necessitated the amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid object.

MANSA RAM,
Minister-in-incharge.

SHIMLA :

Dated..........1998.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to increase the authorised capital of the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation from Rs. 20.00 crores to Rs. 30.00 crores. After the increase of the authorised capital of the Corporation, there will be no extra expenditure out of the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1998

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation Act, 1979 (Act No. 20 of 1979).

MANSA RAM,
Minister-in-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :

Dated..............1998.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।